

अनुमति को शर्तें।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत गिरस्त की जा सकती है।


एकत्र श्री डी केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपूर

आवेदन क्रमांक 54 दिनांक 01/05/2019
 प्रार्थी श्री मीता प्रमल चौधरी पति श्री राम करण चौधरी
 ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P.No: 38/1 पार्ट भूखण्ड न
 धारा 194 (7) के अन्तर्गत आवासीय
 भवन निर्माण हेतु कार्यालय में पेश गन्दे नाले के पास, शीव
 कर स्वनिर्धारण राजस्व 24,128/- रुपय का रातानाडा
 जमिये रसीद संख्या 1005/375, 976
 दिनांक 01/05/2019 को जमा करा दी है।

सत्य कुमार
 प्रारूपकार
 नगर निगम, जोधपूर

पी + 1
 आवासीय


 2/5/19

श्री मीता प्रमल चौधरी